अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3032(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारतीय रेड क्रास सोसायटी, हाउस नं. 3-6-212, गली सं. 15 हिमायत नगर, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश'' द्वारा 1) आंध्र प्रदेश में रेड क्रॉस ब्लड बैंक का उन्नयन, 2) अनुसंधान केंद्र के साथ आयूष हॉस्पिटल का निर्माण, 3) आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में मेडिसिन बैंक स्थापित करना, 4) वरिष्ठ नागरिक रिजॉर्ट, नाजेव नगर, रंगा रेडी जिला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए (वृद्धा आश्रम) के लिए कॉटेज का निर्माण और 5) भारतीय रेड क्रास सोसायटी प्रशानिक ब्लॉक का निर्माण, एपी स्टेट ब्रांच,'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं.का.आ. 2403 (अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''भारतीय रेड क्रास सोसायटी, हाउस नं. 3-6-212, गली सं. 15 हिमायत नगर, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश'' द्वारा चलाई जा रही ''1) आंध्र प्रदेश में रेड क्रॉस ब्लड बैंक का उन्नयन, 2) अनुसंधान केंद्र के साथ आयूष हॉस्पिटल का निर्माण, 3) आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में मेडिसिन बैंक स्थापित करना, 4) वरिष्ठ नागरिक रिजॉर्ट, नाजेव नगर, रंगा रेडी जिला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए (वृद्धा आश्रम) के लिए कॉटेज का निर्माण और 5) भारतीय रेड क्रास सोसायटी प्रशानिक ब्लॉक का निर्माण, एपी स्टेट ब्रांच,'' की परियोजना अथवा स्कीम को 70.62 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में

कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 222/2015/ फा. सं. वी-27015/3/2015 एस ओ (रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)